न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 130/2020 वाद
GCMS NO.- 2020/00335

हीरालाल पिता नानालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बांगेडाघाटा तह0 निम्बाहेड़ा राज0

– प्रार्थी

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा राज0।

– विपक्षी

दावा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0एक्ट
श्री अनन्त चपलोत, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित

निर्णय   दिनांक :–03.03.2021

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा बांगेडाघाटा प0ह0 बांगेडाघाटा तह0 निम्बाहेड़ा में वर्तमान खाता संख्या 609 में कुल किता 16 रकबा 5.1700 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो मूल पुरुष नानालाल जी के समय से चली आ रही है तथा नानालाल जी की मृत्यु हो चुकी है। नानालाल जी के तीन पुत्र क्रमशः हीरालाल, प्रभुलाल एवं फुलचन्द हुए जिनके नाम विरासत से जमीन खाते में दर्ज हुई जो नकल जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 में अंकित है तथा उसके बाद फुलचन्द की मत्यु हो गई। इन्तकाल नं0 1144 से फुलचन्द की विरासत से उनकी पत्नी पार्वतीबाई बेवा फुलचन्द के नाम इंतकाल खुला तथा उसके बाद प्रभुलाल का स्वर्गवास हो जाने से इंतकाल नं0 1952 से उनकी विरासत का इंतकाल उनके वारिस तेजपाल पिता प्रभुलाल, मु0 रामसुखी बेवा प्रभुलाल धाकड़ के नाम पर खोला गया जिसका इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 की खाता संख्या 371 में किया हुआ है। उसके बाद जब राजस्व रेकार्ड का रोटेशन बदला तो संवत् 2067 से 2070 की खाता संख्या 578 में एवं संवत् 2071 से 2074 की खाता संख्या [illegible] की जमाबन्दी में शकु पिता नानालाल का नाम त्रुटीवश दर्ज हो गया जबकि [illegible] से प्रार्थी के परिवार में कोई भी व्यक्ति/ महिला नहीं है [illegible] प्रार्थी [illegible] कोई बहन नहीं है । उक्त आराजियात के पूर्व रेकार्ड [illegible] में भी शकु [illegible] नानालाल दर्ज नहीं है परन्तु रोटेशन बदलने [illegible] भूलवश व त्रुटी[illegible] शकु पिता नानालाल दर्ज हो गया। इसलिए उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में शकु पिता नानालाल का नाम विलोपित किया जावे तथा खाते में सही इन्द्राज हीरालाल पिता नानालाल, तेजपाल पिता प्रभुलाल, मु0 रामसुखीबाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.06.17 18:22:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

पत्नी स्व0 प्रभुलाल, पार्वतीबाई पत्नी फुलचन्द धाकड़ सा0 देह का नाम इन्द्राज किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी पैरोकार सरकार ने न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया तथा अपने जबाब में अंकित किया कि मौजा बांगेडाघाटा की जमाबन्दी संवत् 2057-60 की खाता संख्या 371 में खातेदार श्री हीरालाल पिता नानालाल 1/3, तेजपाल पिता प्रभुलाल मु0 रामसुखीबाई पत्नी प्रभुलाल 1/3, पार्वतीबाई पत्नी फुलचन्द 1/3 धाकड़ सा. देह रहन हिस्सा रामसुखी का चि.स.भू.वि. बैंक शाखा निम्बाहेड़ा दर्ज रेकार्ड था। सहवन से सेटलमेंट के दौरान खाते में शकु पिता नानालाल जुड गया है। जिसे वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की खाता संख्या 609 कुल किता-16 कुल रकबा 5.1700 हैक्टेयर में खातेदार श्री हीरालाल पिता नानालाल 1/3, तेजपाल पिता प्रभुलाल मु0 रामसुखीबाई पत्नी स्व0 प्रभुलाल 1/3, पार्वतीबाई पत्नी स्व0 फुलचन्द 1/3 धाकड़ सा0 देह रहन हिस्सा रामसुखी का चि.स.भू.वि. बैक शाखा निम्बाहेड़ा दर्ज किये जाने की अनुंक्षा की है।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2057-60 ग्राम बांगेडाघाटा की खाता संख्या 371 में खातेदार श्री हीरालाल पिता नानालाल 1/3, तेजपाल पिता प्रभुलाल मु0 रामसुखीबाई पत्नी प्रभुलाल 1/3, पार्वतीबाई पत्नी फुलचन्द 1/3 धाकड़ सा. देह रहन हिस्सा रामसुखी का चि.स.भू.वि. बैंक शाखा निम्बाहेड़ा दर्ज रेकार्ड था लेकिन सहवन से सेटलमेंट के दौरान खाते में शकु पिता नानालाल जुड गया है। पैरोकार सरकार ने भी सेटलमेंट के दौरान सहवन से खाते में शकु पिता नानालाल जुडना स्वीकार करते हुए राजस्व रेकार्ड में संशेधन की अनुंक्षा की है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में मौजा बांगेड़ाघाटा की जमाबन्दी संवत् 2071-74 की खाता संख्या 609 की आराजीयात कुल कीता-16 कुल रकबा 5.1700 हैक्टेयर में शकु पिता नानालाल का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा संशोधन करते हुए हीरालाल पिता नानालाल 1/3, तेजपाल पिता प्रभुलाल मु0 रामसुखीबाई पत्नी प्रभुलाल 1/3, पार्व[illegible] पत्नी फुलचन्द 1/3 धाकड़ सा. देह रहन हिस्सा रामसुखी [illegible] शाखा निम्बाहेड़ा दर्ज किया जावें। उपर्यक्तानुसार राजस्व रेकार्ड [illegible] दरामद किया जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 03.03.2021 को निर्णय सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.06.17 18:22:41 IST
Reason: SelfAttested

Copy - Not Official